न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या –184/2024
अनवान : –

1. बुधराम पुत्र चंदू राम जाति मेघवाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
2. मंगलाराम पुत्र चंदुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।
3. देवसीराम पुत्र चंदुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. हंसराज पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।
2. मदनलाल पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः– 12/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 264/252 के खसरा नं. 324 की कुल तादादी 2.0750 है0 भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 462/441 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.1090 है0 भूमि में से 2024/7109 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 524/495 के खसरा नं. 235/2 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं खाता संख्या 517/149 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.5720 है0 भूमि में से वादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1613/16572 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 264/252 के खसरा नं. 324 की कुल तादादी 2.0750 है0 भूमि व खाता संख्या 462/441 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.1090 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2024/7109 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 524/495 के खसरा नं. 235/2 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि एवं खाता संख्या 517/149 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.5720 है0 भूमि में से वादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1613/16572 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:12 IST
Reason: SelfAttested

(ह.) उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि उपरोक्त चारो खातों की भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 की तरफ से श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर नवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीततम जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत पारिवारिक समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 264/252 के खसरा नं. 324 की कुल तादादी 2.0750 है0 भूमि व खाता संख्या 462/441 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.1090 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2024/7109 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 524/495 के खसरा नं. 235/2 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि एवं खाता संख्या 517/149 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.5720 है0 भूमि में से वादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1613/16572 हिस्सा भूमि उपरोक्त चारो खातों की भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है इसी अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में [illegible]मद करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल [illegible] किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072—2075 के खाता संख्या 135/133 की कुल 7.2470 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी की माता भूरी पत्नी पन्नालाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी का कथन है कि वादी की माता भूरी देवी पत्नी पन्नालाल का देहान्त हो चुका है भूरी देवी पत्नी पन्नालाल के जायज वारिसान सजरा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की भूरी देवी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 द्वारा स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक दादालाई भूमि होना साबित है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार भूरी देवी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 के खाता संख्या 264/252 के खसरा नं. 324 की कुल तादादी 2.0750 है0 भूमि व खाता संख्या 462/441 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.1090 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2024/7109 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 524/495 के खसरा नं. 235/2 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि एवं खाता संख्या 517/149 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.5720 है0 भूमि में से वादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1613/16572 हिस्सा भूमि उपरोक्त चारो खातों की भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा सभी खातों में वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि [illegible] है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का [illegible] अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:12 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –184/2024

अनवान : –

1. बुधराम पुत्र चंदू राम जाति मेघवाल निवासी रावतसर तहसील रावतसर।
2. मंगलाराम पुत्र चंदुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।
3. देवसीराम पुत्र चंदुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।

– वादीगण

बनाम्

1. हंसराज पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।
2. मदनलाल पुत्र चन्दुराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 184 सन 2024 निर्णय दिनांक - 12/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुनील कटारिया तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 264/252 के खसरा नं. 324 की कुल तादादी 2.0750 है0 भूमि व खाता संख्या 462/441 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.1090 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2024/7109 हिस्सा भूमि एवं खाता संख्या 524/495 के खसरा नं. 235/2 की कुल तादादी 5.0600 है0 भूमि एवं खाता संख्या 517/149 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 16.5720 है0 भूमि में से वादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक के 1613/16572 हिस्सा भूमि उपरोक्त चारो खातों की भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा सभी खातों में वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम व पता मुताबिक शिर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर